an>

Title: Need to amend Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007 to improve upon welfare schemes meant for senior citizens.

श्री नाना पटोले (भंडारा-गोंदिया) ः देश की सर्वोच्च अदालत की सामाजिक न्याय पीठ ने वृद्धजनों से संबंधित राष्ट्रीय नीति में नई परिस्थितियों के अनुरूप सुधार करने पर बल दिया है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा किये गये सर्वेक्षण में मार्च 2013 तक वृद्धजनों की संख्या लगभग 10 करोड़ थी जो कुल आबादी का करीब 9 प्रतिशत था। भारत में वृद्धजनों के मानव अधिकार अध्ययन में वृद्धजनों से संबंधित अत्यंत चिंताजनक तथ्य जैसे परिजनों की उपेक्षा का शिकार, शारीरिक कष्ट आदि सामने आये हैं। वृद्धजनों को परिवार की तुलना में सरकार एवं स्वयंसेवी संस्थाओं पर अधिक भरोसा है। इनमें वृद्ध महिलाओं की स्थिति और भी अधिक दयनीय है। वृद्ध कल्याण एवं सहायता के लिए चलाई गई योजनाओं तक उनकी पहुंच भी वृद्ध पुरूषों के मुकाबले कम एवं सीमित रहती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की यह चिंता वास्तव में पूरे देश की चिंता है। सरकार को वर्ष 2007 में बने वृद्धजन कल्याण एवं देखभाल कानून में वृद्धजनों से संबंधित राष्ट्रीय नीति में बदलाव लाकर वृद्धाश्रमों व कल्याण की अनेक योजनाओं में सुधार की आवश्यकता है।